झारखण्ड के जनजातियों में परिहास एवं परिहार संबंध : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ० आशा कुमारी*

झारखण्ड एक जनजातीय बहुल राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड की कुल आबादी 3,29,88,314 है जिसमें से जनजातियों की जनसंख्या 86,45,042 है जो झारखण्ड की कुल जनसंख्या का 26.2 प्रतिशत है''।[1] ''जनजातीय समुदाय सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, परम्पराओं में आस्था रखते है झारखण्ड का अधिकांश गाँव ऐसा है जहाँ सभी समुदाय के लोग एक साथ मिलकर रहते है और एक ही सामाजिक व्यवस्था में बंधे हुए है।''[2]

''मानव समाज में नातेदारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है यह व्यवस्था मानव समुदाय में एक जाल सा फैला हुआ है। परिवार के सभी लोग नातेदारी व्यवस्था में बंधे होते है प्रत्येक व्यक्ति किसी–न–किसी रूप में एक दूसरे से नातेदारी व्यवस्था से जुड़ा हुआ रहता है इस व्यवस्था का क्षेत्र बहुत बड़ा है। यह पूरे मानव समुदाय को अपने में समेटकर रखता है।'' विभिन्न प्रकार के सम्बन्धियों के प्रति इनके व्यवहार भिन्न–भिन्न तरह के होते है। किसी के साथ इनके सम्बन्ध श्रद्धा पर आधारित है तो किसी के साथ इनके सम्बन्ध श्रद्धा पर आधारित है तो किसी के साथ आदर प्रेम, मधुरता परिहास या हंसी–मजाक पर आधारित होता है सन्तानों का माता–पिता के साथ व्यवहार श्रद्धा और सम्मान का है वही पति पत्नी के बीच प्रेम का तथा जीजा–साली के बीच मधुरता का सम्बन्ध। अतः जनजातीय समाज में दो सम्बन्धियों के किस प्रकार के व्यवहार होगे इसके नियम बने होते है जिन्हें हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या नातेदारी की रीतियाँ कहते है।''[3]

नातेदारी प्रणाली प्रत्येक समाज में पायी जाती है प्रत्येक समाज में ऐसे सम्बन्धों की आवश्यकता होती है जो विवाह तथा रक्त सम्बन्धियों के द्वारा स्थापित किये जाते है प्रत्येक मनुष्य अपने समाज में नातेदारी एवं व्यवस्था के अनुसार आचार व्यवहार करता है। यह मनुष्य के रहन–सहन के तौर को प्रभावित करता है।

समाज के बड़े–छोटे का आदर–सत्कार प्यार तथा ह्रास–परिहास नातेदारी व्यवस्था द्वारा तय होता है समाज को व्यवस्थित रखने के लिए परिहास और परिहार (निषेध) दोनों तरह के नियम बनाये गये। परिहार का अर्थ है कि कुछ सम्बन्धी आपस में विमुखता बरते, एक दूसरे से कुछ दुरी बनाये रखने का प्रयत्न करे और पारस्परिक सामाजिक अन्तः क्रिया को टालने का प्रयास करें इस रीति के अनुसार कई सम्बन्धियों के नाम लेना वर्जित है या किसी ना किसी प्रकार से सम्बन्धियों के साथ परिचित व्यक्ति से बात करना वर्जित है बातचीत नहीं कर सकते और ना ही आमने–सामने ही आ सकते है।''[4]

यहाँ की जनजातियों में नातेदारी में श्रेणी सूचक और विवरणात्मक दोनों प्रणाली पाई जाती है श्रेणी सूचक प्रणाली में कई रिश्तेदारों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग होता है जैसे फुआ और मामी के लिए 'हतोम' दादा–नाना दोनों के लिए 'तातांग' दादी–नानी दोनों के लिए जियांग आदि। विवरणात्मक में विभिन्न संबंधियों के लिए अलग–अलग संबोधन होते है यहा श्वसुर के लिए 'होजार' सास के लिए 'हनेर' भाभी के लिए 'हिली' भवह के लिए 'किमिन' आदि। नातेदारी में परिहास और परिहार संबंध का भेद भी पाया जाता है। परिहास संबंध में हंसी–मजाक की छूट रहती है जैसे–भाभी–देवर, जीजा–साली

* यु०जी०सी०नेट०आर०जी०एन०एफ०, न्यू एरिया मोराबादी, राँची

आदि के बीच। परिहार संबंध में एक मर्यादापूर्ण दूरी बरती जाती है इसमें एक दूसरे से बतरस, स्पर्श साथ उठना–बैठना वर्णित रहता है ऐसा संबंध भवह–भैसुर, ससुर–पोतहू आदि के बीच होता है।''[5]

जनजातियों में परिहास हंसी–मजाक संबंध

रैडक्लिफ ब्राउन के मतानुसार परिहास संबंध दो व्यक्तियों के बीच वैसे सम्बन्ध को दर्शाता है जिसके अन्तर्गत एक पक्ष को प्रथा द्वारा यह छूट रहती है और कभी–कभी उससे यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे या उससे हंसी–मजाक करे किन्तु दूसरा पक्ष उसका कुछ भी बुरा न मानें। परिहास संबंध में अन्तर्गत दो सम्बन्धियों में परस्पर हँसी–मजाक, गाली–गलौज, यौन–सम्बन्धी अश्लील कथन, एक–दूसरे की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना इत्यादि घनिष्ठतम सम्बन्धों का समावेश होता है। इस प्रकार की रीतियाँ प्रमुखतया विवाह सम्बन्धियों के बीच पाये जाते है जीजा–साली, देवर–भाभी, मामा–भांजा इत्यादि अनेक ऐसे सम्बन्ध होते है जिसमें परिहास सम्बन्धों की प्रधानता होती है।''[6]

उराँव समाज में ह्रास–परिहास का सम्बन्ध पाया जाता है जैसे : जीजा–साली, देवर–भाभी के बीच हंसी मजाक का रिश्ता सभी समाज में प्रचलित है। समाज में भी इस रिश्ते को हंसी–मजाक करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही परिस्थितिवश इनके बीच विवाह करने की स्वीकृति भी समाज द्वारा प्राप्त है इनके बीच नाना–नानी दादा–दादी और नाती–पोतियों में भी हंसी–मजाक का रिश्ता पाया जाता है लेकिन इस रिश्ते के बीच विवाह की स्वीकृति नहीं है ''संथाल जनजाति में परिहास सम्बन्ध भाभी–देवर ननद, भाभी, जीजा–साली, जीजा–साला, दादा–पोती, दादी–पोता, नाना–नतनी, नानी–नाती, समधी समधिन रिश्तेदारों की बीच पाया जाता है।

मुण्डा जनजाति में भाभी–देवर, भाभी, ननद, जीजा–साली जीजा–साला, पितामह–पौत्री सम्बन्धियों के बीच परिहास सम्बन्ध होता है मुण्डा जनजाति में उम्र की असमानता के कारण दादा–पोती में विवाह तो नहीं होता किन्तु इनके बीच उपहास सम्बन्धों में बहुधा ''काम'' का अंश होता है।

खड़िया जनजाति में परिहास पत्नी के छोटे भाई–बहन तथा दादा–दादी तथा पोता–पोती के बीच छिड़ा करता है जनजातीय समाज में कुछ विशेष पर्व–त्योहारों तथा समारोहों के अवसर पर परिहास–सम्बन्धी व्यवहारों की छूट और अधिक बढ़ जाती है।''[8]

''असुर समाज में परिहास संबंध जीजा–साली एवं देवर भौजाई के बीच मधुरता होता है। कभी–कभी यह रिश्ता हसी दिल्लगी की सीमा लांघ कर यौनः संबंध की हद तक चला जाता है और कभी–कभी विवाह में भी परिणत हो जाता है। अन्य परिहास संबंध जीजा–साला, ननद–भौजाई सरहज ननदोई आदि के बीच भी पाया जाता है।''[9]

''करमाली जनजाति में परिहास संबंध दो व्यक्तियों से संबंधित बहुत अंतरग घनिष्ठ और खुले होते है। आपस में हंसी मजाक करते है। करमाली जनजातियों में ऐसे संबंध देवर–भाभी, ननद–भाभी, बहनोई–साला साली दादा–दादी, पोता–पोती, नाना–नानी और नाती–नतनी आदि के बीच पाये जाते है देवर–भाभी और जीजा–साली के बीच परिहास संबंध चरम सीमा तक पाया जाता है। और इन रिश्तों में विवाह की संभावना छुपी रहती है। समधी–समधिन के बीच भी हास–परिहास चलता रहता है।''[10]

जनजातियों में परिहास संबंध

''परिहार अथवा विमुखता की रीति के द्वारा कुछ विशिष्ट नातेदारों को पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करने से रोका जाता है। इस रीति के अनुसार कई सम्बन्धियों का नाम लेना या उनसे बात–चीत करना भी वर्णित होता है कभी–कभी तो ये सम्बन्धों एक–दूसरे को देख भी नहीं सकते, न आमने सामने आ सकते है लोवी के अनुसार श्वसुर तथा पुत्र–वधु तथा सास और दामाद के पारस्परिक सम्बन्ध परिहार के प्रमुख उदाहरण है।

उराँव समाज में परिहार सम्बन्ध इनके बीच पाई जाती है। जैसे–पति के बड़े भाई के साथ आदर का व्यवहार करना उनसे दूर रहना, उनका नाम भी नहीं लेना इत्यादि। यह निषेध दोनों पक्ष से अनिवार्य है। इसी तरह पति की बड़ी बहन के साथ आदर का भाव व्यक्त करना आवश्यक है। इस रिश्ते को उराँव समाज में 'बालनी' कहा गया है। एवं उन्हें पूर्ण इज्जत दिया जाता है।''

''संथाल जनजाति में भैंसुर (पति का बड़ा भाई) तथा जेठ सास पत्नी की बड़ी बहन को देवता समझा जाता है उनसे छुआने की बात तो दूर रही उनकी परछाई तक से अलग रहा जाता है। उनकी चारपाई या बिछावन प बैठा तक नहीं जाता यदि कभी भूल से छू जाय तो ''अरूप जांगा'' की रस्म पूरी करनी पड़ती है। सास–सुसर को माता–पिता की तरह पूज्य माना जाता है पति की बहन को भी आदरसूचक शब्दो से संबोधित किया जाता है, उन्हें ब्राह्मण के समान माना जाता है। संथाल महिलाओं में सिर पर घूंघट डालने का रिवाज नहीं है परन्तु गुरूजनों के सामने वे अपने बालों को खुला नहीं छोड़ती। भील जनजाति के बीच बहु तथा श्वसुर की बीच परिहार सम्बन्धी रीतियाँ भी कठोर है।''[12]

''मुंडा जनजाति में पुरूष तथा सास–ससुर एवं बड़े साले तथा साली के बीच तथा स्त्री और सास–ससुर तथा भैंसुर तथा जेठ ननद के बीच परिहार सम्बन्ध होता है। इनमें सास–ससुर के प्रति श्रद्धा परिहार तक जा पहुँचती है।

खड़िया जनजाति में पत्नी की बड़ी बहन, बड़े भाई तथा माता–पिता के साथ परिहार सम्बन्ध माना जाता है। स्त्री अपने पति के बड़े–भाई बहन तथा माता–पिता से परिहार का सम्बन्ध रखता है, जो उसके प्रति श्रद्धा तथा मानका परिचायक समझा जाता है, किन्तु सास के साथ उसका दूरन्त कुछ उन्मुक्त व्यवहार की ओर झुका रहता है। क्योंकि, ससुराल में सास ही उसके आराम की देखभाल करती है। खड़िया जनजाति में परिहार सम्बन्ध में लंदा–नाता कहा जाता है।''[13]

असुरों में परिहार संबंधों में एक दूसरे का आदर–लिहाज करते है जैसे– बहु–ससुर भावह–भैंसुर आदि। इनके बीच एक वर्जना का भाव रहता है भावह भैसुर एक दूसरे से स्पर्श तक नहीं होने देते।''[14]

करमाली

जनजातियों में परिहार संबंध कुछ अलग है इससे दो व्यक्तियों के बीच एक दूरी बनी रहती है। उनमें बातचीत गाहे–बगाहे नहीं होती, व्यवहार शिष्ट और समान जनक होता है। ऐसे संबंध में भैंसुर–भावों का संबंध सबसे ऊपर होता है एक–दूसरे से बात नहीं करते एक–दूसरे के कमरे में प्रवेश नहीं करते और ना ही एक साथ बैठे सकते है। परिहार संबंध ससुर–पतोहू, सास–दामाद भगिन बहू और मामा ससुर बहिन–जवांय और जेठ सास आदि के बीच भी होता है। पाहिर संबध में विशेष स्थिति में बातचीत किबाड़ से ओंठग कर होती है। पति–पत्नी भी एक दूसरे का नाम न लेकर बेटा–बेटी के नाम के साथ 'बाप' या 'भाई' जोड़ कर पुकारते है। इसी प्रकार ससुर बहुओं का नाम न लेकर बड़की, मंझली, संझली छोटकी कहकर अथवा उसके मायके के स्थान पर राँची वाली, गुमला वाली आदि कहकर या यदि संतान है तो बच्चों के नाम के साथ माँ/भाई जोड़कर सम्बोधित करते है।''[15]

इसी तरह झारखण्ड के अन्य सभी जनजातियों में भी इसी तरह के परिहास एवं परिहार सम्बन्ध पाये जाते है।

संदर्भ :

1. वर्मा : उमेश कुमार (2009) झारखण्ड का जनजातीय समाज, सुबोध ग्रन्थमाला, पुस्तक पथ राँची, पृ.सं. 12
2. खलखों : शान्ति, (2009) उराँव संस्कृति : परिवर्तन एवं दिशाएँ, कुडुख विकास समिति राँची, पृ.सं. 93
3. उपरोक्त, पृ.सं. 93
4. उपरोक्त, पृ.सं. 94

5. शर्मा : बिमला चरण एवं कीर्ति बिक्रम (2006) झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स राँची, पृ.सं. XIV
6. वर्मा : उमेश कुमार (2009), जनजातीय समाजशास्त्र, जानकी प्रकाशन नई दिल्ली, पृ.सं. 144
7. खलखो : शान्ति (2009) उराँव संस्कृति : परिवर्तन एवं दिशाएँ, कुडुख विकास समिति राँची पृ.सं. 95
8. वर्मा : उमेश कुमार (2008) जनजातीय समाजशास्त्र, जानकी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. 145
9. शर्मा : विमला चरण एवं कीर्ति बिक्रम (2006) झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन राँची, पृ.सं. 14
10. उपरोक्त, पृ.सं. 211, 212
11. खलखों : शान्ति (2009) उराँव संस्कृति : परिवर्तन एवं दिशाएँ, कुडुख़ विकास समिति राँची, पृ.सं. 95
12. वर्मा : उमेश कुमार (2008) जनजातीय समाजशास्त्र, जानकी प्रकाशन दिल्ली, पृ.सं. 144
13. उपरोक्त, पृ.सं. 144
14. शर्मा : बिमला चरण एवं कीर्ति बिक्रम (2006) झारखण्ड की जनजातियाँ, क्राउन पब्लिकेशन्स राँची, पृ.सं. 14
15. उपरोक्त, पृ.सं. 212